



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

माघ 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या 25/2026/200/तीस-3-2026

लखनऊ, 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-29

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन)

नियमावली, 2026

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026 संक्षिप्त नाम
कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट
परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:- का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1
(विद्यमान परिशिष्ट)

क्र० सं०	पदकानाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
	समूह- 'क'			
1	विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, परिवहन विभाग	-	01	01
2	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी	-	01	01
3	अपर परिवहन आयुक्त	02	02	04
4	उप परिवहन आयुक्त	11	01	12
5	उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक)	01	-	01
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	21	13	34
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	63	-	63
	समूह- 'ख'			
8	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	78	58	136

स्तम्भ-2
(एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)
[नियम 4(2) देखें]

क्र० सं०	पदकानाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
	समूह- 'क'			
1	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-	01	01
2	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी	-	01	01
3	अपर परिवहन आयुक्त	02	02	04
4	उप परिवहन आयुक्त	11	04	15
5	उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक)	01	-	01
6	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	21	23	44
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	63	-	63
	समूह- 'ख'			
8	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	78	94	172

आज्ञा से,
अर्चना अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.25/2026/200/XXX-3-2026, dated January 30, 2026 :

No.25/2026/200/XXX-3-2026
Dated Lucknow, January 30, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990 :—

**THE UTTAR PRADESH TRANSPORT SERVICE (SEVENTH AMENDMENT)
RULES, 2026**

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Transport Service (Seventh Amendment), Rules, 2026. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990, for the existing appendix set out in Column-1 below, the appendix as set out in Column-2 shall be substituted, namely:- Substitution of Appendix

COLUMN-1
(Existing Appendix)

Sl. no.	Name of Post	Number of Post		
		Perma- nent	Temp- orary	Total
1	2	3	4	5
Group 'A'				
1	Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Department	-	01	01
2	Uttar Pradesh State Transport Appellate Authority	-	01	01
3	Additional Transport Commissioner	02	02	04
4	Deputy Transport Commissioner	11	01	12
5	Deputy Transport Commissioner (Technical)	01	-	01
6	Regional Transport Officer	21	13	34
7	Assistant Regional Transport Officer (Senior Scale)	63	-	63
Group 'B'				
8	Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)	78	58	136

COLUMN -2
(Appendix as hereby substituted)
[See Rule 4(2)]

Sl. no.	Name of Post	Number of Post		
		Perma- nent	Temp- orary	Total
1	2	3	4	5
Group 'A'				
1	Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Department	-	01	01
2	Uttar Pradesh State Transport Appellate Authority	-	01	01
3	Additional Transport Commissioner	02	02	04
4	Deputy Transport Commissioner	11	04	15
5	Deputy Transport Commissioner (Technical)	01	-	01
6	Regional Transport Officer	21	23	44
7	Assistant Regional Transport Officer (Senior Scale)	63	-	63
Group 'B'				
8	Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)	78	94	172

By order,
ARCHANA AGARWAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 111 राजपत्र-2026-(233)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० परिवहन-2026-(234)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।